न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2020/00871

1. लालाराम पुत्र श्री जौहरी लाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम पालवास, तहसील फुलेरा, जिला जयुपर **(मृतक दौराने अपील)**
   1/1. मांगी पत्नी स्व. श्री लालाराम,
   1/2. प्रभूदयाल पुत्र स्व. श्री लाला राम,
   1/3. रामधन पुत्र स्व. श्री लाला राम,
   1/4. शिवदयाल पुत्र स्व. श्री लाला राम,
   1/5. कानी देवी पत्नी स्व. श्री हंसराज पुत्रवधु स्व. लाला राम,
   1/6. कान्ता देवी पुत्री स्व. श्री लाला राम, समस्त जाति बलाई निवासीयान पालवास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. मोहन पुत्र हीरा, जाति बलाई, **(मृतक दौराने अपील)**
   2/1. छगन लाल पुत्र स्व. श्री मोहन,
   2/2. लालचन्द पुत्र स्व. श्री मोहन,
   2/3. भंवर लाल पुत्र स्व. श्री मोहन, समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम दौलतपुरा ड्योढी (फुलेरा) जिला जयपुर, हाल निवासी महावीर कॉलोनी मार्बल सिटी हॉस्पिटल के पीछे, सांवतसर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. गोविन्द पुत्र सोला राम, जाति रैगर, निवासी कोठी तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
4. लाला राम पुत्र श्री रामदेव **(मृतक दौरान अपील)**
   4/1. मन्नी देवी पत्नी स्व. श्री लाला राम,
   4/2. संतोष पुत्री स्व. श्री लाला राम,
   4/3. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री लाला राम,

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. कुमार मीना, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

दिनांकः 05.01.2026

निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2015 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 17.12.1969 को खसरा नम्बर 320 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन हुआ था जो भूमि वाके ग्राम पालवास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित है। विपक्षी तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 17.12.1969 को आवंटित उक्त आराजी के आवंटन आदेश को राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 उप नियम 4 के अनर्गत आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना

P.T.O.

पत्र पेश किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2015 को स्वीकार कर अपीलार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया, जो आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायायल ने प्रशनगत आदेश विपक्षी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2011 को आधारित कर पारित किया गया है जबकि कथित रिपोर्ट मौके की वास्तविक स्थिति व राजस्व अभिलेखों मे वर्णित इन्द्राज के विपरीत होने से कथित रिपोर्ट दिनांक 15.0.7.2011 अविश्वसनीय है क्योंकि हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जिनमें खसरा नम्बर 320 रकबा 50 बीघा 18 बिस्वा को प्रपत्र संख्या 1 में आवंटन करने वाला का उल्लेख किया है तथा उन्होने भूमि दीगर को विक्रय की जिनकी खातेदारी वर्तमान में दर्ज है। उनको प्रपत्र संख्या 2 में उल्लेखित किया गया है जिनके आवंटन के पश्चात् 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि शेष बचती है। जिस पर अपीलार्थी काबिज है। उक्त आराजी नाले, खड्डे के रूप में हो ऐसा उल्लेख हल्का पटवारी ने रिपोर्ट क्रमांक 7881 दिनांक 15.10.2013 में अंकित नही किया है तथा खसरा नम्बर 320 की आराजी पर खातेदारी होने व काबिज होने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हल्का पटवारी की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 15.07.2011 मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत है तथा वर्तमान में अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर अपीलार्थी काबिज है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय अविश्वसनीय रिपोर्ट पर विश्वास करके प्रश्नगत आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी आवंटन के पश्चात् से ही आवंटित आराजी पर काबिज है तथा भूमि को प्रोपर तरीके से उपयोग कर उस पर काबिज है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–6(19)राजस्व 6/92/31जीएसआर 76/ दिनांक 23.09.1999 के द्वारा काश्त सम्बन्धी इन शर्तो को विलोपित कर दिया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवंटन के उपरान्त आवंटित आराजी को प्रोपर तरीके से उपयोग कर लेते है, तो आवंटन की शर्तो का उल्लंघन नही माना जा सकता। इस प्रकरण में भी हल्का पटवारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जिससे उक्त आराजी का प्रोपर तरीके से उपयोग नही हो रहा हो व आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो क्योंकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2011 व क्रमांक 7881 दिनांक 15.10.2013 आपस में विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट अविश्ववसनीय है तथा राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश निरस्त कर कानूनी भूल की है। जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 उनवानी सरकार बनाम लालाराम मुकदमा नम्बर 9/12 को निरस्त किया जावें तथा आवंटन आदेश दिनांक 17.12.1969 की पालना में अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट क्रमांक 7881 दिनांक 15.10.2013 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 320 का कुल रकबा 50 बीघा 18 बिस्वा था इसमें से 41 बीघा 3 बिस्वा भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित व नियमित की जा चुकी है, जिनके नाम खातेदारी तहसीलदार की

P.T.O.

रिपोर्ट अनुसार दर्ज है। शेष भूमि 9 बीघा 15 बिस्वा मौके पर काबिल काश्त नही है, मौके पर नाले व खड्डे बने हुये है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर ही अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 के द्वारा आवंटन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।